रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 892] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2004/आश्विन 22, 1926
No. 892] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2004/ASVINA 22, 1926

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2004

का०आ० 1124(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) की धारा-41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ viii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):- इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण **(अप्राधिकृत अधिभोगी व बेदखली अपील का प्रारूप)** नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) ***अधिनियम*** से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) अभिप्रेत है;

(ख) ***बेदखली अधिकारी*** से प्राधिकरण का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 28 **ख** के अधीन उसके द्वारा उस रूप में नियुक्त किया गया हो;

3108 GI/2004

(ग) ***अधिकरण*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 **झ** के उपधारा (1) के अधीन स्थापित विमानपत्तन अपील अधिकरण;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों का, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, का वही अर्थ होगा जो कि अधिनियम में क्रमश: उनका है।

प्रारूप
(नियम 3 देखें)
अपील का ज्ञापन

अपील अधिकरण के कार्यालय में उपयोग हेतु

रजिस्ट्री में प्रस्तुति की तारीख

डाक द्वारा प्राप्ति की तारीख

रजिस्ट्रीकरण संख्या

हस्ताक्षर

रजिस्ट्रार

विमानपत्तन अपील अधिकरण के समक्ष
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) के मामले में

एवं

----------द्वारा ----------
पर दिए गए आदेश के विरूद्ध अपील के मामले में

क.ख. ---------- अपीलार्थी

ग.घ. तथा अन्य प्रत्यर्थी

अपील के ब्यौरे:

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां:

(i) अपीलार्थी का नाम
(ii) अपीलार्थी के रजिस्ट्रीकृत का पता

(iii) सभी सूचनाओं की तामील का पता
(iv) टेलीफोन/फैक्स सं0 तथा ई-मेल. पता, यदि कोई हो

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) की विशिष्टियां

(i) प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का/के नाम
(ii) प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का/के कार्यालय का पता
(iii) सभी सूचनाओं की तामील के लिए प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का पता
(iv) टेलीफोन/फैक्स सं0 तथा ई-मेल पता, यदि कोई हो

3. अपील अधिकरण की अधिकारिता- अपीलार्थी घोषणा करता है कि अपील का मामला अपील अधिकरण की अधिकारिता में आता है।

4. सीमा - अपीलार्थी आगे घोषणा करता है कि अपील अधिनियम की धारा 28 ट की उप धारा (1) में यथा विनिर्दिष्ट सीमा के भीतर है।

5. मामले के तथ्य तथा उस आदेश के ब्यौरे जिसके विरूद्ध अपील फाइल की गई है:-

मामले के तथ्य नीचे दिए जाते हैं:-

(यहां विनिर्दिष्ट आदेश के विरूद्ध अपील के तथ्यों और आधारों का एक संक्षिप्त कथन कालानुक्रम में दीजिए, प्रत्येक पैरा में यथासम्भव स्पष्ट रूप से पृथक विवाद्यक तथा अथवा अन्य बाते हों)

6. चाहा गया अनुतोष- उपरोक्त पैरा 5 में वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत, अपीलार्थी निम्न अनुतोषों की प्रार्थना करता है (नीचे चाहा गया अनुतोष को विनिर्दिष्ट करें, अनुतोष के लिए आधारों तथा विधिक उपबंध, यदि कोई है, जिन पर विश्वास किया गया हो, उनका भी उल्लेख करें)

7. **अंतरिम आदेश, यदि इसके लिए प्रार्थना की गई हो-** अंतिम विनिश्चय के लंबित रहते, अपीलार्थी निम्न अंतरिम आदेश के लिए प्रार्थना करता है:

(यहां प्रार्थित अंतरिम आदेश की प्रकृति का कारणों सहित उल्लेख करें)

8. **वे मामले जो किसी अन्य न्यायालय में लंबित नहीं है, आदि** - अपीलार्थी आगे घोषणा करता है कि जिस मामले के संबंध में यह अपील दायर की गई है वह किसी अन्य न्यायालय अथवा अन्य प्राधिकारी अथवा अन्य अधिकरण के समक्ष लंबित नहीं है।

9. **अनुक्रमणिक का ब्यौरा-** विश्वास किए जाने योग्य दस्तावेजों के ब्यौरे की एक अनुक्रमणिका संलग्न है।

10. **संलग्नकों की सूची:-**

[सं० एवी-20036/102/2003-एएआई]

डा० नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1124(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (gviii) of sub-section (2) of Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement. (1).- These rules may be called the Airports Authority of India (**Form of Eviction of Unauthorized Occupants Appeal**) Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994);
(b) "eviction officer" means an officer of the Authority appointed as such by it under Section 28 B of the Act ;
(c) "Tribunal" means the Airport Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 28-I of the Act;
(d) all other words and expressions used hereinafter, but not defined herein shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act.

3. Form of appeals and their procedure.-(1) Any person aggrieved by an order of the eviction officer under Chapter VA of the Act may, prefer an appeal to the Tribunal is the Form appended to these rules.

(2) An appeal shall be accompanied by a copy of order of the eviction officer.

(3)On receipt of the appeal, the Tribunal shall, after calling for an perusing the record of the proceedings before the eviction officer, appoint a time and place for the hearing of the appeal and shall give notice thereof to the eviction officer against whose orders the appeal is preferred, to the appellant and to the person for the time being in charge of the airport in whose administrative control the airport premises are situated.

FORM
(See rule 3)
MEMORANDUM OF APPEAL

For use in Appellate Tribunal's Office

Date of Presentation in the registry

Date of receipt by post

Registration number

Signature

Registrar

Before the Airports Appellate Tribunal
In the matter of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994)

And

In the matter of appeal against the order made on .....
By.....
A.B.-Appellant

C.D. and other-Respondents(s)

Details of appeal:

1. Particulars of the appellant:

(i) Name of the appellant
(ii) Address of registered office of the appellant
(iii) Address of service of all notices
(iv) Telephone/Fax Number and e-mail address, if any

2. Particulars of the respondents(s):

(i) Name of the respondent(s)
(ii) Office address of the respondents(s)
(iii) Address of respondent(s) for service of all notices
(iv) Telephone/Fax Number and e-mail address, if any.

3. Jurisdiction of the Appellate Tribunal.- The appellant declares that the matter of appeal falls within the jurisdiction of the Appellate Tribunal.

4. Limitation.- The appellant further declares that the appeal is within the limitation as specified in sub-section (1) of section 28K of the Act.

5. Facts of the case and the details of the order against which appeal is filed:

The facts of the case are given below:

(give here a concise statement of facts ands grounds of appeal against the specified order in a chronological order, each paragraph containing as neatly as possible as separate issue, fact or otherwise)

6. Relief(s) sought.-In view of the facts mentioned in paragraph 5 above, the appellant prays for the following relief(s) (Specify below the relief(s) sought explained the grounds for relief(s) and the legal provisions, if any, relied upon).

7. Interim order, if prayed for.-Pending final decision of the appeal the appellant seeks issue of the following interim order:

(Give here the nature of the interim order prayed for with reasons)

8. Matter not pending with any other court, etc.-The appellant further declares that the matter regarding with this appeal has been made is not pending before any court of law or any other authority or any other Tribunal.

9. Details of Index.-An index containing the details of the documents to be relief upon is enclosed.

10. List of enclosures.-

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2004

का०आ० 1125(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) की धारा-41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली नुकसानी का अवधारणा) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) ***अधिनियम*** से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15);

(ख) ***बेदखली अधिकारी*** से प्राधिकरण का वह अधिकारी अभिप्रेत है जिसे अधिनियम की धारा 28 **ख** के अधीन उसके द्वारा उस रूप में नियुक्त किया हो,

(ग) अन्य सभी शब्दों और पदों का, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रयुक्त किया गया है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ होगा जो कि अधिनिया में क्रमशः उनका है।

3. **नुकसानी का अवधारण:-** (1) अधिनियम की धारा 28 **छ** को उपधारा (2) के अधीन किसी विमानपत्तन परिसर के अप्राधिकृत उपयोग और उपभोग की नुकासानी का अवधारण करते समय बेदखली अधिकारी निम्लिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखेगा अर्थात् :-

(क) वह उद्देश्य तथा अवधि जिसके लिए विमानपत्तन परिसर अप्राधिकृत उपभोग में थे;

(ख) ऐसे परिसर में उपलब्ध स्थान की प्रकृति, आकार तथा स्तर;

(ग) वह किराया जिसे कि तब लिया जाता यदि परिसर को ऐसे किसी व्यक्ति को, जो कि विमानपत्तन पर सेवारत नहीं हो, अप्राधिकृत उपभोग की अवधि तक किराये पर दिया जाता;

(घ) अप्राधिकृत उपभोग की अवधि के दौरान परिसर को हुई कोई भी नुकासनी;

(ङ) नुकसानी के अवधारण के प्रयोजन के लिए कोई अन्य सुसंगत विषय।

(2) बेदखली अधिकारी, जो अधिनियम की धारा 28छ की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन आदेश देता है, निदेश दे सकेगा कि उपनियम (1) के अधीन अवधारित नुकसानी या किराए के बकाए अधिकतम बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ देय होंगे।

[सं० एवी-20036/102/2003-एएआई]
डा० नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1125(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (giii) of sub-section (2) of Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.-

(1) These rules may be called the Airports Authority of India **(Eviction of Unauthorized Occupants Assessment of Damages)** Rules, 2004.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (15 of 1994);

(b) "eviction officer" means an officer of the Authority appointed as such by it under section 28B of the Act;

(c) all other words and expressions used hereinafter, but not defined herein shall have the same meaning as are respectively assigned to them in the Act.

3. Assessment of damages.-(1) In assessing damages of unauthorized use and occupation of any airport premises under sub-section (2) of section 28G of the Act, the eviction officer shall have regard to the following principles, namely:-

(a) the purpose and the period for which the airport premises were in unauthorized occupation;

(b) the nature, size and standard of the accommodation available in such premises;

(c) the rent that would have been realized if the premises had been let on rent for the periods of unauthorized occupation to a person who is not in the service of the airport;

(d) any damages done to the premises during the period of unauthorized occupation;

(e) any other matter relevant for the purpose of assessing the damages.

(2) The eviction officer who makes an order under sub-section (1) or sub-section (2) of section 28G of the Act may direct that the arrears of rent or the damage assessed under sub-rule (1) shall be payable together with simple interest at the rate not exceeding twelve per cent per annum.

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2004

का०आ० 1126(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा-41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन अपील अधिकरण (अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) ***अधिनियम*** से अभिप्रेत है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55);

(ख) ***अध्यक्ष*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 झ की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ग) ***अधिकरण*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 **झ** की उपधारा (1) के अधीन स्थापित विमानपत्तन अपील अधिकरण;

(घ) अन्य सभी शब्दों और पदों का, जिन्हें इन नियमों में प्रयुक्त किया गया है किन्तु पारिभाषिक नहीं किया गया है, परन्तु जो अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमश: उनका है।

3. **वेतन:-** अध्यक्ष को उतना ही वेतन संदत्त होगा जितना कि एक उच्च न्यायालय के सेवारत न्यायाधीश को अनुज्ञेय है:

परन्तु यदि अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है जो कि उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हो चुका है तथा जिसे पेंशन, उपदान, अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक के अंशदान या अन्य सेवानिवृत्ति फायदे या तो प्राप्त हो चुके हैं या प्राप्त हो रहे हैं या वह इन फायदों को प्राप्त करने का हकदार हो चुका है, ऐसे अध्यक्ष के वेतन उसके द्वारा प्राप्त किए गए या प्राप्त किए जाने वाले अंशदायी भविष्य निधि में नियोजक का अंशदान या पेशन की कुल राशि या किसी अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदें, यदि कोई है, को घटा दिया जाएगा।

4. **महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता:-** अध्यक्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के अनुज्ञेय दर पर महंगाई भत्ता और नगर प्रतिकारात्मक भत्ता पाने का हकदार होगा।

5. **छुट्टी:-** कोई व्यक्ति, अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति पर निम्नानुसार छुट्टी का हकदार होगा:-

(i) सेवा के प्रत्येक पूर्ण कैलेण्डर वर्ष अथवा उसके भाग के लिए तीस दिन की दर पर अर्जित अवकाश,

परन्तु यह कि छुट्टी खाते में अर्जित छुट्टी अग्रिम रूप में, प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के जनवरी तथा जुलाई मास के प्रत्येक पहले पन्द्रह दिन की किश्तों में, जमा कर दी जाएंगी;

परन्तु यह और यह कि इस प्रकार अग्रनीत की गई छुट्टी तथा आधे वर्ष के लिए नाम में डाली गयी छुट्टी मिलकर एक सौ अस्सी दिन की अधिकतम सीमा से अधिक नहीं बैठती हों, इसके अधीन रहते हुए छुट्टी खाते में पूर्ववर्ती आधे वर्ष की समाप्ति के साथ अगले आधे वर्ष में अग्रनीत करके जमा कर दी जाएगी,

(ii) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिनों की दर पर चिकित्सा प्रमाण-पत्र अथवा निजी कारणों पर अर्ध वेतन छुट्टी तथा अर्ध वेतन छुट्टी के लिए छुट्टी वेतन अर्जित छुट्टी के दौरान अनुज्ञेय वेतन छुट्टी के आधे के बराबर होगा;

(iii) आधे वेतन पर छुट्टी को भारत के राष्ट्रपति के विवेकाधिकार से पूर्ण वेतन छुट्टी में परिवर्तित किया जा सकेगा, बशर्ते यह चिकित्सीय आधार पर ली गयी है तथा इसके समर्थन में एक सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाणपत्र लगाया गया हो,

(iv) एक कार्यकाल में अधिकतम एक सौ अस्सी दिनों की अवधि तक अवैतनिक असाधारण छुट्टी तथा भत्ते।

6. **छुट्टी मंजूरी प्राधिकारी:-** भारत के राष्ट्रपति अध्यक्ष की छुट्टी स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7. **पेंशन/भविष्य निधि:-** यदि कोई सेवारत न्यायाधीश अध्यक्ष के पद को धारण कर रहे हैं तो ऐसे मामले में ली जाने वाली पेंशन के लिए गणना उसी सेवा के नियमों के अनुसार होगी जिससे वह जुड़ा हुआ है। वह साधारण भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों द्वारा भी शासित होगा। अन्य सभी मामलों में, व्यक्ति अंशदायी भविष्य निधि (भारत) नियम, 1962 का हकदार होगा।

8. **यात्रा भत्ता:-** दौरे या स्थानांतरण (जिनमें अधिकरण में पद ग्रहण करने के लिए अथवा अभिकरण में अपने कार्यकाल की समाप्ति पर अपने गृह नगर के लिए की गई यात्रा शामिल है) के समय अध्यक्ष उच्च न्यायालय न्यायाधीश (यात्रा भत्ता) नियम, 1956 के उपबंध के अधीन उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के लागू मानों एवं दरों पर ही यात्रा भत्ता, दैनिक भत्तों, निजी असबाब की ढुलाई तथा अन्य ऐसे ही मामलों के लिए हकदार होगा।

9. **छुट्टी यात्रा रियायत:-** अध्यक्ष उन्हीं दरों और उन्हीं मानों पर छुट्टी यात्रा रियायत का हकदार होगा जैसा कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को लागू हैं।

10. **वाहन की सुविधा:-** अध्यक्ष स्टाफ कार तथा प्रति मास एक सौ पचास लिटर पेट्रौल अथवा प्रतिमास वास्तविक रूप से उपभोग किए गए पेट्रोल , जो भी कम हो, के लिए हकदार होगा।

11. **आवास:-** (1) अध्यक्ष के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति साधारण पूल से शासकीय निवास के उपयोग के लिए उपलब्धता के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार के समूह ***क*** अधिकारी को अनुज्ञेय टाइप के आवास का हकदार होगा, जो कि उस स्थान पर कार्यरत हो जहां ऐसा अधिकरण स्थित है तथा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट दरों पर अनुज्ञप्ति फीस के भुगतान पर समान वेतन प्राप्त कर रहा हो।

(2) जहां अध्यक्ष अनुज्ञेय अवधि से अधिक समय तक सरकारी आवास पर काबिज है, वह अतिरिक्त अनुज्ञप्ति फीस या शास्तिक किराया, जैसा भी मामला हो, संदाय करने का दायी होगा तथा वह केन्द्रीय सरकार के सेवकों पर लागू नियमों के अनुसार वेदखली का दायी होगा।

(3) जहां अध्यक्ष उप-नियम (i) के अधीन सरकारी आवास की सुविधा नहीं ले रहा है, वहां वह समान वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्रीय सरकार के समूह ***क*** के अधिकारी को अनुज्ञय गृह किराया भत्ता का हकदार होगा।

12. **चिकित्सीय उपचार की सुविधा:-** अध्यक्ष, अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना नियम, 1954 में प्रदत्त चिकित्सीय उपचार तथा अस्पताल सुविधाओं का हकदार होगा और उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा योजना प्रचालन में नहीं है, उक्त अध्यक्ष केन्द्रीय सेवाएं चिकित्सा परिचर्या नियम, 1944 में दी गई सुविधाओं का हकदार होगा।

13. **अवशिष्ट उपबंध:-** अध्यक्ष की सेवाओं की शर्तों से संबंधित वे मामले, जिनके संबंध में इन नियमों में कोई व्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, प्रत्येक दशा में केन्द्रीय सरकार को उसके विनिश्चय के निर्दिष्ट किए जाएंगे तथा उन पर केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अध्यक्ष के लिए आबद्धकर होगा।

14. **शिथिल करने की शक्ति:-** केन्द्रीय सरकार को किसी वर्ग या प्रवर्गों के व्यक्तियों के संबंध में इन में से किसी भी नियम के उपबंधों को शिथिल करने की शक्ति होगी।

[सं० एवी-20036/102/2003-एएआई]

डा० नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1126(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (gvi) of sub-section (2) of Section 41 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Airport Appellate Tribunal **(Salaries, Allowances and other terms and conditions of service of Chairperson)** Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
(b) "Chairperson" means a person appointed as Chairperson of the Tribunal under sub-section (4) of section 28-I of the Act;
(c) "Tribunal" means the Airport Appellate Tribunal established under sub-section (1) of section 28-I of the Act;
(d) all other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Salary.- The Chairperson shall be paid such salary as admissible to serving Judge of a High Court:

Provided that in the case of an appointment of a person as a Chairperson, who has retired as a Judge of a High Court who is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension, gratuity, employer's contribution to the Contributory Provident Fund or other forms of retirement benefits, the pay of such Chairperson shall be reduced by the gross amount of pension or employer's contribution to the Contributory Provident fund or any other form of retirement benefit, if any, drawn or to be drawn by him.

4. Dearness allowance and city compensatory allowance.-The Chairperson shall be entitled to draw dearness allowance and city compensatory allowance at the rate admissible to a Judge of a High Court.

5. Leave.-A person, on appointment as the Chairperson shall be entitled to leave as follows, namely:-

(i) earned leave at the rate of thirty days for every completed calendar year of service of a part thereof:

Provided that the leave account shall be credited with earned leave, in advance, in two installments of fifteen days each on the first day of January and July of every calendar year:

Provided further that the leave account shall be credited with the close of previous half year shall be carried forward to the next half year, subject to the condition that the leave so carried forward plus credit for the half year do not exceed the maximum limit of one hundred ands eighty days;

(ii) half pay leave on medical certificate or on private affairs at the rate of twenty days in respect of each completed year of service and the leave salary for half pay leave shall be equivalent to half of the leave salary admissible during the earned leave;

(iii) leave on half pay may be commuted to full pay leave at the discretion of the President of India. Provided it is taken on medical grounds and is supported by a medical certificate by a competent medical authority;

(iv) extraordinary leave without pay and allowances up to a maximum period of one hundred and eighty days in one term of office.

6. Leave sanctioning authority.- The President of India shall be the authority competent to sanction leave to the Chairperson.

7. Pension/Provident Fund.- In case a serving Judge is holding the post of Chairperson shall count for pension to be drawn in accordance with the rules of the service to which he belongs. He shall also be governed by the provisions of the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960. In all other cases, a person shall be entitled to Contributory Provident Fund (India) Rules, 1962.

8. Traveling Allowances.-The Chairperson while on tour or on transfer (including the journey undertaken to join the Tribunal or on the expiry of his term with the Tribunal to proceed to his home town) shall be entitled to the traveling allowances, daily allowances, transportation of personal effects and other similar matters at the same scales and at the same rates as are applicable to a judge of High Court under the provision of the High Court Judge (Traveling Allowances) Rules, 1956.

9. Leave Travel Concession.- The Chairperson shall be entitled to leave trvel concession at the same rates and at the same scale as are applicable to a Judge of a High Court.

10. Facility of conveyance.- The Chairperson shall be entitled to a staff car and one hundred and fifty litres of petrol every month or actual consumption of petrol per month, whichever is less.

11. Accommodation.-(1) Every person appointed as the Chairperson shall be eligible subject to availability to the use of official residence from the general pool accommodation of the type admissible to a Group 'A' officer of the Central Government, who is working at the place where such tribunal is located and drawing an equivalent pay on payment of the licence fee at the rates specified by the Central Government from time to time.

(2) Where the Chairperson occupies an official residence beyond permissible period, he shall be liable to pay additional licence fee or penal rent, as the case may be, and he shall be liable to eviction in accordance with the rules applicable to Central Government servants.

(3) Where the Chairperson does not avail of facility of official residence under sub-rule (1), he shall be entitled to House Rent Allowance as admissible to Group 'A' officers of the Central Government, drawing equivalent pay.

12. Facilities for medical treatment.- The Chairperson shall be entitled to medical treatment and hospital facilities as provided in the Contributory Health Services Scheme Rules, 1954 and in places where the Central Health Services Scheme is not in operation, the said Chairperson shall be entitled to the facilities as provided in the Central Services medical Attendance Rules, 1944.

13. Residuary provision.- Matters relating to the conditions of services of the Chairperson with respect to which no express provision has been made in these rules shall be referred in each case to the Central Government for its decision and the decision of the Central Government thereon shall be binding on the said Chairperson.

14. Power to relax.- The Central Government shall have power to relax the provisions of any of these rules in respect of any class or categories of persons.

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2004

का०आ० 1127(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा-28ञ की उप-धारा (3) के साथ पठित धारा 41 की उप-धारा (2) के खण्ड (छ vi) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1):-** इन नियमों का संक्षिप्त नाम विमानपत्तन अपील अधिकरण **(अध्यक्ष के कदाचार अथवा उनकी अक्षमता के अन्वेषण के लिए प्रक्रिया)** नियम, 2004 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं:-** इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;

(क) ***अधिनियम*** से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 15) अभिप्रेत है,

(ख) ***अध्यक्ष*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28 **झ** की उपधारा (4) के अधीन अधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ग) ***अधिकरण*** से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 28**झ** के उपधारा (1) के अधीन विमानपत्तन अपील अधिकरण;

(घ) इन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त है और परिभाषित नहीं है किन्तु जिन्हें अधिनियम में परिभाषित वे ही अर्थ होंगे जो उसमें क्रमशः हैं।

3. **शिकायतों के अन्वेषण के लिए समिति-** (1) यदि अध्यक्ष के बारे में कदाचार अथवा कार्यालय के कार्यकलापों के निर्वाह में अक्षमता के बारे में कोई निश्चित आरोप के अभिकथित करते हुऐ लिखित शिकायत केन्द्रीय सरकार को प्राप्त होती है वह ऐसी शिकायत की प्रारंभिक संवीक्षा करेगी।

(2) यदि प्रारंभिक संवीक्षा के समय पर राष्ट्रपति आरोप के बारे में अन्वेषण किए जाने को आवश्यक समझते हैं, तब उस शिकायत को उपलब्ध सहायक सामग्री के साथ एक ऐसी समिति के समक्ष रखा जाएगा जिसमें शिकायत में लगाए गए आरोपों के अन्वेषण के लिए निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

(i) सचिव (समन्वय तथा लोक शिकायत), मंत्रिमंडल सचिवालय- अध्यक्ष
(ii) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय - सदस्य
(iii) सचिव, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय - सदस्य

(3) समिति अन्वेषण के लिए अपनी ही प्रक्रिया और पद्धति तैयार करेगी जिसमें शिकायतकर्ता के साक्ष्य का अभिलेखन रिकार्डिंग तथा उस जांच से सुसंगत सामग्री का संकलन शामिल हो सकती है जो इन नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा संचालित की जा सकेगी।

(4) समिति राष्ट्रपति को जितनी जल्दी संभव हो सके उस अवधि के भीतर जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. न्यायाधीश द्वारा जांच करना- (1) यदि राष्ट्रपति की यह राय है कि अध्यक्ष के कदाचार अथवा अक्षमता के किसी लांछन के संबंध में सत्यता की जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं उस स्थिति में वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से इस संबंध में जांच कराने के लिए निर्देश करेंगे कि वह उच्चत्तम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उक्त जांच करने हेतु नाम निर्दिष्ट करें।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नाम निर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायाधीश कहा गया है) को नियुक्त करेंगें।

(3) उप-नियम (2) के अधीन न्यायाधीश की नियुक्ति की सूचना संबंधित अध्यक्ष को दी जाएगी।

(4) राष्ट्रपति निम्नलिखित की एक-एक प्रति न्यायाधीश को अग्रेषित करेंगे:-

(क) संबंधित अध्यक्ष के विरूद्ध आरोप की मदें तथा लांछन का कथन,
(ख) साक्षियों, यदि कोई है का कथन, और
(ग) जांच से सुसंगत तात्विक दस्तावेज।

(5) न्यायाधीश जांच उस समय के भीतर अथवा और बढ़ाए गए समय के भीतर पूरा करेगा जो राष्ट्रपति द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(6) संबंधित अध्यक्ष को ऐसे समय के भीतर जो इस निमित्त न्यायाधीश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा।

(7) जहां यह अभिकथित किया जाता है कि संबंधित अध्यक्ष किसी भी प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता के कारण अपने पद के कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में असमर्थ है और अभिकथन का प्रत्याख्यान किया जाता है तब न्यायाधीश ऐसे चिकित्सा बोर्ड द्वारा अध्यक्ष की चिकित्सीय परीक्षा की व्यवस्था कर सकेगा जिसकी नियुक्ति इस प्रयोजन के लिए राष्ट्रपति द्वारा की जा सकेगी तथा संबंधित अध्यक्ष को न्यायाधीश द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसी परीक्षा का चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने आपको पेश करना होगा।

(8) चिकित्सा बोर्ड अध्यक्ष की इस प्रकार की चिकित्सीय परीक्षा करेगा जो आवश्यक समझी जाए तथा न्यायाधीश को एक रिपोर्ट देगा जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या अक्षमता इस स्तर तक है जिससे कि अध्यक्ष पद पर बने रहने के लिए योग्य नहीं है।

(9) यदि चिकित्सा बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाने पर भी इस प्रकार की चिकित्सा जांच करवाने से अध्यक्ष इन्कार करता है , तब बोर्ड न्यायाधीश को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें यह उल्लेख किया जाएगा कि तत्संबंधी जांच कराने से अध्यक्ष ने इन्कार कर दिया है तथा तब

न्यायाधीश इस प्रकार की रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह मान लेगा कि अध्यक्ष इस प्रकार की शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमता से ग्रस्त है जिसका उल्लेख शिकायत में किया गया है।

(10) अध्यक्ष के लिखित कथन तथा चिकित्सा रिपोर्ट यदि कोई हो पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधीश उप-नियम (4) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट आरोपों में संशोधन कर सकता है तथा इस प्रकार के मामले में अध्यक्ष को प्रतिरक्षा का नया लिखित कथन देने का उचित अवसर दिया जाएगा।

(11) केन्द्रीय सरकार अध्यक्ष के विरूद्ध तत्संबंधी मामला पेश करने के लिए उस सरकार के किसी अधिकारी अथवा किसी अधिवक्ता को नियुक्त करेगी।

(12) जहां केन्द्रीय सरकार ने न्यायाधीश के समक्ष अपना केस पेश करने के लिए अधिवक्ता की नियुक्ति कर दी है वहां संबंधित अध्यक्ष को भी अपने चुने हुए किसी अधिवक्ता द्वारा अपना मामला पेश करने की अनुज्ञात किया जाएगा।

5. इन नियमों के अधीन जांच करने विषयक विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 का लागू होना-विभागीय जांच (साक्षियों का हाजिर कराना तथा दस्तावेज पेश कराना) अधिनियम, 1972 (1972 का 18), के उपबंध इन नियमों के अधीन की गई जांचों पर ऐसे लागू होंगे जैसे ये विभागीय जांचों पर लागू लागू होते हैं।

6. न्यायाधीश की शक्तियां- न्यायाधीश, सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 (1908 का 5) द्वारा अधिकथित वित्त प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं होगा किन्तु वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों द्वारा मार्गदर्शित होगा तथा उसे अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमि करने की शक्ति होगी जिसमें जांच के स्थान तथा समय का नियत करना शामिल है।

7. अध्यक्ष का निलम्बनः- नियम 4 में किसी बात के होते हुए भी तथा उक्त नियम के अनुसार की जा रही किसी भी कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना राष्ट्रपति आरोपों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए, अध्यक्ष को निलम्बित कर सकेंगें जिसके विरूद्ध किसी शिकायत पर अन्वेषण अथवा जांच चल रही है।

8. जीवन निर्वाह भत्ता- निलम्बनाधीन किसी अध्यक्ष को जीवन निर्वाह भत्ते का भुगतान ऐसे समतुल्य वेतन पाने वाले भारत सरकार के किसी अधिकारी पर तत्समय लागू नियमों और आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

9. जांच रिपोर्ट- अन्वेषण के निष्कर्ष के पश्चात् न्यायाधीश अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौपेंगे जिसमें आरोपों की प्रत्येक मदों पर प्रत्येक पर अलग-अलग तत्संबंधी कारणों तथा अपने निष्कर्षों का उल्लेख करेगा जो सम्पूर्ण मामले पर इस प्रकार की टिप्पणियों से युक्त होंगे जो वे उपयुक्त समझते हों।

[सं० एवी-20036/102/2003-एएआई]

डा० नसीम जैदी, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2004

S.O. 1127(E).—In exercise of the powers conferred by Clause (gvi) of sub-section (2) of Section 41 read with Sub-section (3) of Section 28J of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.-(1) These rules may be called the Airport appellate Tribunal **(Procedure for investigation of misbehavior or incapacity of Chairperson)** Rules, 2004.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
(b) "Chairperson" means a person appointed as Chairperson of Tribunal under sub-section (4) of section 28-I of the Act;
(c) "Tribunal" means the Airport Appellate Tribunal under sub-section (1) of section 28-I of the Act;
(d) words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in that.

3. Committee for investigation of complaints.-(1) If a written complaint, alleging any definite charges of misbehavior or incapacity to perform the functions of the office in respect of Chairperson, is received by the Central Government, it shall make a preliminary scrutiny of such complaint.

(2) If, on preliminary scrutiny, the President considers it necessary to investigate into the allegation, it shall place the complaint together with supporting material as may be available, before a Committee consisting of the following persons to investigate the charges of allegations made in the complaint:-

(i) Secretary (Coordination and Public Grievances), Cabinet Secretariat - Chairman

(ii) Secretary, Ministry of Civil Aviation - Member

3108GI/04—4

(iii) Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice. - Member

(3) The Committee shall devise its own procedure and method of investigation which may include recording of evidence of the complainant and collection of material relevant to the inquiry which may be conducted by a Judge of the Supreme Court under these rules.

(4) The Committee shall submit its findings to the President as early as possible within a period that may be specified by the President in this behalf.

4. Judge to conduct inquiry.-(1) If the President is of the opinion that there are reasonable ground for making an inquiry into the truth of any imputation of misbehavior or incapacity of the Chairperson, he shall make a reference to the Chief Justice of India requesting him to nominate a Judge of the Supreme Court to conduct the inquiry.

(2) The President shall, by order, appoint the Judge of the Supreme Court nominated by the Chief Justice of India (hereinafter referred to as Judge) for the purpose of conducting the inquiry.

(3) Notice of appointment of a Judge under sub-rule (2) shall be given to the Chairperson concerned.

(4) The President shall forward to the Judge a copy of-

(a) the articles of charges against the Chairperson concerned and the statement of imputation;

(b) the statement of witnesses, if any; and

(c) material documents relevant to the inquiry.

(5) The Judge shall complete the inquiry within such time or further time as may be specified by the President.

(6) The Chairperson concerned shall be given a reasonable opportunity of presenting a written statement of defence within such time as may be specified in this behalf by the Judge.

(7) Where it is alleged that the Chairperson concerned is unable to discharge the duties of his office efficiently due to any physical or mental incapacity and the allegation is denied, the Judge may arrange for the medical examination of the Chairperson by such Medical Board as may be appointed for the purpose by the President and the Chairperson concerned shall submit himself to such medical examination within the time specified in this behalf by the Judge.

(8) The Medical Board shall undertake such medical examination of the Chairperson as may be considered necessary and submit a report to the Judge stating therein whether the incapacity is such as to render the Chairperson unfit to continue in office.

(9) If the Chairperson refuses to undergo such medical examination as considered necessary by the Medical Board, the Board shall submit a report to the Judge stating therein the examination which the Chairperson has refused to undergo, and the Judge may, on receipt of such report, presume that the Chairperson suffers from such physical or mental incapacity as is alleged in the complaint.

(10) The Judge may, after considering the written statement of the Chairperson and the Medical Report, if any, amend the charges referred to in clause (a) of sub-rule (4) and in such a case, the Chairperson shall be given a reasonable opportunity of presenting a fresh written statement of defence.

(11) The Central Government shall appoint an officer of that Government or any advocate to present the case against the Chairperson.

(12) Where the Central Government has appointed an advocate to present its case before the Judge, the Chairperson concerned shall also be allowed to present his case by an advocate chosen by him.

5. Application of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 to inquiries under these rules.-The provisions of the Departmental Inquiries (Enforcement of Witness and Production of Documents) Act, 1972 (18 of 1972), shall apply to the inquiries made under these rules as they apply to departmental inquiries.

6. Powers of the Judge.- The Judge shall not be bound by the procedure laid down by the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908) but shall be guided by the principles of natural justice and shall have power to regulate his own procedure including the fixing of places and times of the inquiry.

7. Suspension of Chairperson.-Notwithstanding anything contained in rule 4 and without prejudice to any action being taken in accordance with the said rule, the President, keeping I view the gravity of charges may suspend the Chairperson against whom a complaint is under investigation or inquiry.

8. Subsistence allowance.-The payment of subsistence allowance to a Chairperson under suspension shall be regulated in accordance with the rules and orders for the time being applicable to an officer of the Government of India drawing an equivalent pay.

9. Inquiry Report.-After the conclusion of the investigation, the Judge shall submit his report to the President stating therein his findings and the reasons thereof on each of the articles of charges separately with such observations on the whole case as he thinks fit.

[No. AV-20036/102/2003-AAI]

Dr. NASIM ZAIDI, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.